भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *195

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

बैंक ऋणों की वसूली

195. श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऋणों की वसूली के संबंध में बैंकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन बैंकों ने उक्त दिशानिर्देशों की उपेक्षा की है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर क्या कार्रवाई की और उक्त कार्रवाई के क्या परिणाम रहे; और

(घ) उक्त परिणाम के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'बैंक ऋणों की वसूली' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों, श्रीमती पूनमबेन माडम और श्रीमती रंजीता कोली द्वारा पूछे गए 02 दिसम्बर, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *195 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि अपने बोर्ड के द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अपनी एक ऋण वसूली नीति हो, जिसमें बकाया राशि की वसूली की पद्धति, अनर्जक आस्तियों में कमी के अवधि-वार लक्षित स्तर आदि को निर्धारित किया गया हो। वसूली के लिए बैंकों में कई वसूली तंत्र उपलब्ध हैं, जैसे सिविल न्यायालयों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामलों को दर्ज कराना, आपसी बातचीत के द्वारा निपटान अथवा समझौते के जरिए तथा अनर्जक आस्तियों की बिक्री करके। बैंक अलग-अलग मामलों में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर सर्वोत्तम वसूली प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लेते हैं। बैंकों ने अपने वसूली के प्रयासों को बेहतर बनाया है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1,56,702 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली सहित विगत चार वित्तीय वर्ष के दौरान 4,01,393 करोड़ रुपए की वसूली की है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने वाले बैंकों पर आरबीआई द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में यह सूचित किया गया है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच आरबीआई द्वारा बैंकों के पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के दौरान प्रतिदर्श आधार पर की जाती है और कोई भी अननुपालन पाए जाने पर आरबीआई द्वारा बैंक के विरुद्ध यथापेक्षित समुचित पर्यवेक्षीय/प्रवर्तनीय कार्रवाई आरंभ किए जाने के साथ-साथ इस मामले को सुधार के लिए बैंकों के साथ उठाया जाता है।

*****